



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

दिनांक: 15/05/2023

फा. सं.: NCST/DEV-1647/BR/3/2023-ESDW

श्री अमन समीर,  
जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,  
जिला-सारण,  
जिला पदाधिकारी कार्यालय,  
समाहरणालय सारण छपरा-बिहार-841301  
ई-मेल: dm-saran.bih@nic.in

डॉ. गौरव मंगला,  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला-सारण,  
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,  
समाहरणालय सारण छपरा बिहार-841301  
ई-मेल: sp-saran-bih@nic.in

विषय: पक्का रास्ता बनाने में विघ्न डालना और विवाद खड़ा करने के संबंध में श्री राजू साह, पुत्र श्री रामवचन साह, प्लॉट नं.228/बी, गली नं.-07, प्रधान एन्क्लेव बापरोला, नजफगढ़, नई दिल्ली -110043 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री राजू साह से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(डॉ. जयंत सरोदे)  
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री राजू साह,  
पुत्र श्री रामवचन साह,  
प्लॉट नं.228/बी, गली नं.-07,  
प्रधान एन्क्लेव बापरोला, नजफगढ़,  
नई दिल्ली -110043
2. श्री राजू साह,  
पुत्र श्री रामवचन साह,  
ग्राम-मंगोलापुर मठिया,  
धाना-पोस्ट-जलालपुर बाज़ार,  
जिला-छपरा (सारण), बिहार-841412
3. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु।